FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला–भीलवाड़ा

अनवान

सुआमोटो रास्ता **बनाम** राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार करेड़ा

किस्म मुकदमा प्रार्थनापत्र धारा 131, 132 एल.आरए व नियम 58, 59, 60, 66, 86 आरएलआर

प्र0सं0 26 / 2020 प्रा0पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.10.2020	सुआमोटो प्रकरण जिस पर तहसीलदार करेड़ा ने अपने पत्रांकः राजस्व / 2020 / 896 दिनांक 15.09.2020 द्वारा ग्राम करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा तहसील करेड़ा के बिलानाम आ0नं0 7627 रकबा 1.00 बीघा में से रकबा 0.01 बीघा, 7679 रकबा 1.11 बीघा में से रकबा 0.01 बीघा 7680 रकबा 10.08 बीघा में से रकबा 0.04 बीघा, 7688 रकबा 4.13 बीघा में से 0.02 बीघा, 8094 / 7678 रकबा 9.12 बीघा में से रकबा 0.07 बीघा किस्म बंजड़ भूमि में ग्राम करेड़ा से डेलास की डामरीकृत सड़क से खेतो में जाने का रास्ता निकल रहा है जो मौके पर चालू हालात में होकर इस रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने में कोई सार्वजनिक आपत्ति नहीं है जिसके समर्थन में सम्बत् 2071 से 2074 की नकल जमाबन्दी नकल नक्शा ट्रेस, मौका रिपोर्ट पटवार हल्का करेड़ा के, तहसीलदार करेड़ा द्वारा पत्रादि मय अभिशंषा के प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई।प्रार्थना पत्र न्यायालयके क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जावें। पत्रावली आदेश दिनांक 19.10.2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर,करेड़ा	
19.10.2020	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिससे सुआमोटो प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार की रिपोर्ट / अभिशंषा उचित प्रतीत होती है। अतः सुआमोटो प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। **<u>आदेश</u>** अतः तहसीलदार करेड़ा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा तहसील करेड़ा के बिलानाम आ0नं0 7627 रकबा 1.00 बीघा में से रकबा 0.01 बीघा, 7679 रकबा 1.11 बीघा में से रकबा 0.01 बीघा, 7680 रकबा 10.08 बीघा में से रकबा 0.04 बीघा, 7688 रकबा 4.13 बीघा में से 0.02 बीघा, 8094 / 7678 रकबा 9.12 बीघा में से रकबा 0.07 बीघा किस्म बंजड़ भूमि में ग्राम करेड़ा से डेलास की डामरीकृत सड़क से खेतो में जाने का रास्ता निकल रहा है [illegible] रिकार्ड एवं राजस्व नक्शों में संलग्न नक्शे एवं परिशिष्ट 'ए' [illegible] दरामद की कार्यवाही करे। तथा [illegible] करे। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर [illegible] हो। (महीपाल सिंह) उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर,करेड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 08:29:44 IST
Reason: SelfAttested